न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :84/2024
निर्णय दिनांक : 20.06.2025
आरसीएमएस संख्या– 2024/176

विजयपाल सिंह पुत्र स्व. डालमचन्द जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

2. कमला पत्नी स्व. डालमचंद जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
3. प्रतापसिंह पुत्र स्व. डालमचंद जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
4. मुनेश पुत्र स्व. डालमचंद जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
5. दशरथ पुत्र स्व. डालमचंद जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपस्थित :–

1. श्री गोवर्धन लाल एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार राज उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता डालूराम उर्फ डालमचन्द पुत्र मावाराम के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 464/240 तादादी 2.1749 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तोलियासर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय उनका बोलता हुआ नाम डालूराम पुत्र मावाराम खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम डालमचन्द पुत्र मावाराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 की विधिवत तामील होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 464/240 तादादी 2.1749 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी के पिता का नाम डालूराम पुत्र मावाराम दर्ज है जबकि वादी के पिता के दस्तावेजों में नाम डालमचंद पुत्र मावाराम दर्ज है। अतः वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे डालमचंद पुत्र मावाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी के पिता का नाम डालमचंद पुत्र मावाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 464/240 तादादी 2.1749 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी के पिता का नाम डालूराम पुत्र मावाराम के स्थान पर डालमचंद पुत्र मावाराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश .....)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

विजयपाल सिंह बनाम राज. सरकार

दावा बावत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 84 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रुहाजरी श्री गोवर्धन लाल एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 464/240 तादादी 2.1749 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी के पिता का नाम डालूराम पुत्र मावाराम के स्थान पर डालमचंद पुत्र मावाराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज...मुबलिग .... बावत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक ....

को अदा करे।

वसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख**20**माह 06. 2025**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

दस्तखत ....

ओहदा ....

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ

	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये